प्रेस नोट दिनांक 27/02/2025
थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा अपहरण के अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया ।

थाना भोजीपुरा जिला बरेली के गांव मझौला सर्वसुख मे दिनांक 20.02.2025 की रात्रि को लल्लू गिरी पुत्र अजुध्या गिरी निवासी ग्राम मझौला सर्वसुख की लड़की अंजली की शादी का समारोह था, जहां से समय लगभग 09.00 बजे रात्रि को झण्डूलाल उर्फ सूरज पुत्र ओमप्रकाश नि0 मझौला सर्वसुख थाना भोजीपुरा जिला बरेली की पुत्री उम्र 09 वर्ष गुम हो गयी थी। काफी तलाश किया गया लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नही चला। इसके बाद दिनांक 21.02.2024 को झण्डूलाल उर्फ सूरज द्वारा अपनी पुत्री उम्र 09 वर्ष की गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0-157/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। गुमशुदा की तलाश के क्रम में आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चैक किया गया तो गांव घुरसमसपुर के ग्राम प्रधान साबिर के मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति लड़की को पीठ पर बैठाये ले जाता दिखाई दिया, जिसके आधार पर गुमशुदा की तलाश करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना भोजीपुरा द्वारा पुलिस टीम के साथ घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 26/02/2025 को समय 02.05 बजे ग्राम समसपुर गौटिया से घुर जाने वाली सडक से जंगल की तरफ जाने वाले चकरोड से अभियुक्त अमित सिंह पुत्र निरवान सिंह उर्फ निर्मल सिंह नि0 ग्राम नरहरपुर गौरी खेडा थाना हाफिजगंज जिला बरेली उम्र लगभग 35 वर्ष को गिरफ्तार कर, कब्जे से अपहर्ता को बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अमित सिंह पुत्र निरवान सिंह उर्फ निर्मल सिंह नि0 ग्राम नरहरपुर गौरी खेडा थाना हाफिजगंज जि0 बरेली उम्र लगभग 35 वर्ष

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 128/2013 धारा 376 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट थाना शीशगढ जनपद बरेली।
2. मु0अ0सं0 113/2024 धारा 363/354/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।
3. मु0अ0सं0 157/2025 धारा 137(2)/87/65(2)/64(2)m BNS व 5M/5L/6 पाक्सो एक्ट थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त अमित सिंह पुत्र निरवान सिंह उर्फ निर्मल सिंह नि0 ग्राम नरहरपुर गौरी खेडा थाना हाफिजगंज जि0 बरेली उम्र लगभग 35 वर्ष ने पूछताछ पर बताया कि मैं वर्ष 2013 में थाना शीशगढ़ से 5-6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार में जेल गया था । दस वर्ष की सजा काटने के बाद एक- डेढ़ साल पहले छूटा था । छूटने के कुछ समय बाद मैंने पहाडपुर गांव थाना बीसलपुर जनपद रामपुर से एक 07 साल की लड़की का अपहरण 6 अप्रैल 2024 में किया था । 25 अप्रैल 2024 में, मैं लड़की के साथ पकड़ा गया था और जेल चला गया था । लगभग 9 महीने जेल में रहने के बाद 30 जनवरी 2025 को रामपुर जेल से छूटा था । मेरे घर पर कोई नहीं है । मेरे माता-पिता भाई की मृत्यु हो चुकी हैं । मेरे तीन बहने हैं जिनकी शादी हो चुकी है । मैं ऐसे ही घूमता-फिरता व मेहनत-मजदूरी करता हूँ । दिनांक 20.02.25 को दिन में करीब 2 बजे अटापट्टी शुमाली पर मन्दिर के पास टेम्पों से उतर कर मन्दिर पर नहा कर कपड़े बदल कर मैले कपड़े थैले में रखकर पैदल पैदल चलता हुआ जा रहा था। ग्राम मझौला के पास एक डल्लप वाले से मैंने पूछा क्या गांव में शादी है तो उसने बताया कि हाँ गाँव मे शादी है । तो मैं ग्राम मझौला में लगभग 3 बजे पहुँच कर वहीं रुक गया । मैंने

पहले ग्राम मझौला में कम्पाईन पर काम किया था । वहाँ पर कुछ देर में आम के बाग में बैठकर बूफर से गाने सुनता रहा फिर मैं जिधर शादी का पण्डाल लगा वहाँ मैं चला गया और अपना कपड़ों का थैला गाँव के बाहर बने मकान में आंगन में नल के पास रख दिया । वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे उनसे बातें करने लगा फिर दुकान से कुरकुरे का पैकेट लाकर बच्ची को दे दिया । कुछ देर बाद लड़की उम्र करीब 9 वर्ष दोबारा मुझसे खाने का सामान मांगने लगी मैं फिर दुकान पर गया और अपने लिए बीड़ी का बण्डल लिया और चॉकलेट ली । चॉकलेट बच्ची को दे दी । वह मेरे पीछे-पीछे घूमने लगी । मेरे साथ घुलमिल गई । मैं बच्ची को लेकर जंगल की तरफ चल दिया और चलते-चलते ग्राम घुरसमसपुर में पहुँच गया । वहीं गांव के बाहर एक ट्रॉली के नीचे पुराल डालकर उस पर बच्ची को सुला दिया और अपनी जैकेट उसे उढ़ा दी थी । फिर सुबह 5 बजे के लगभग बच्ची को लेकर पैदल ही चल दिया और सड़क पर पहुँच गया । सड़क पर एक बाईक वाले को हाथ देकर उस पर बैठकर नैनीताल हाईवे पर आ गया और मैजिक में बैठकर सैटेलाईट पर पहुँच गया । सैटेलाईट पर मैंने मजदूरी की और बच्ची को कंगा शीशा , बॉल दिलवाई । दिन में वहीँ पर बर्गर खिलवाया । रात में वही पर सो जाता था, दिन में मौर्या मन्दिर में बच्ची के साथ जाकर पूजा करता था । फिर काम करता था और सैटेलाईट पर ही सो जाता था । फिर दो दिन बाद मैं बच्ची को लेकर मिलक चला गया एक रात वहीं मन्दिर पर रुका । आज मैं वहाँ से बच्ची को लेकर अपनी भांजी लक्ष्मी की ससुराल जिवाई गया वहाँ पर मेरी भान्जी नहीं मिली । फिर मै वंहा से घुरसमसपुर के जंगल में आ गया वहीं पर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ।

- ❖ उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.05.2013 को थाना शीशगढ़ जनपद बरेली में वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री उम्र 5 वर्ष 6 माह के साथ अभियुक्त अमित सिंह द्वारा जगंल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 128/2013 धारा 376 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया, जिसमें अभियुक्त अमित सिंह को दिनांक 17.05.2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 26.07.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। इसके उपरान्त प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा **अभियुक्त अमित सिंह पुत्र निरवान सिंह नि0 ग्राम नरहरपुर गौरी खेडा थाना हाफिजगंज जिला बरेली को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त अमित सिंह 10 वर्ष की सजा व्यतीत कर जेल से बाहर आया।**

- ❖ इसके अतिरिक्त दिनांक 07.04.2024 को थाना बिलासपुर जनपद रामपुर में वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री उम्र करीब 07 वर्ष का अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 113/24 धारा 363 भादवि बनाम बाईस्तवा अमित सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसमें वाद विवेचनात्मक कार्यवाही अभियुक्त अमित सिंह पुत्र निरवान सिंह नि0 ग्राम नरहरपुर गौरी खेडा थाना हाफिजगंज जि0 बरेली का नाम प्रकाश में आया, जिसको दिनांक 25.04.24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 01.05.2024 आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363/354/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। अभियुक्त अमित सिंह उक्त अभियोग में करीब 9 माह जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 श्री प्रवीन सोलंकी थाना भोजीपुरा बरेली ।
2.म0उ0नि0 अंजलि भाटी थाना भोजीपुरा बरेली ।
3.का0 3336 सुमित कुमार थाना भोजीपुरा बरेली ।
4.का0 393 आसिफ अली थाना भोजीपुरा बरेली ।